



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ms. 1255

सं० 129]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 1976/फाल्गुन 25, 1897

No. 129]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1976/PHALGUNA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 15th March 1976

**S.O. 197(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 1976.
2. In rule 11A of the Income-tax Rules, 1962, with effect from the 2nd day of April, 1976,—
  - (a) in clause (i), for the figures and words "33-1/3 per cent", the figures and words "40 per cent." shall be substituted;
  - (b) in clause (ii), for the letters and figures "Rs. 25,000", the letters and figures "Rs. 50,000" shall be substituted.

[No. 1255/F. No. 24/FB/76-1 PL.]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1976

का० आ० 197 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके द्वारा, आय-कर नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11क में 1976 के अप्रैल के दूसरे दिन से —
  - (क) खण्ड (i) में, "33-1/3 प्रतिशत" अंक और अक्षर के स्थान पर "40 प्रतिशत" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
  - (ख) खण्ड (ii) में "25,000 रुपए" अंक और अक्षर के स्थान पर "50,000 रुपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 1255/का० सं० 24/एफ० बी०/76 टी पी एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।